शव को विमान से ले जाने के लिये मानक प्रचालन कार्यविधि

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

उत्तराखण्ड में स्थित धार्मिक व पर्यटन स्थल देश–दुनिया से बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं, आपदाओं व स्वास्थ्य सम्बन्धित परेशानियों के कारण कभी कभार यहॉ आने वाले पर्यटकों व तीर्थ यात्रियों की मृत्यु हो जाती है।

मृतक के परिजन प्रायः शव को अन्तिम संस्कार के लिये अपने गृह नगर ले जाना चाहते हैं। परन्तु शव को विमान से ले जाने के लिये कई औपचारिकताओं को पूरा करना जरूरी है।

निम्नलिखित जॉच सूची विमान से शव ले जाना सुगम बनायेगी तथा साथ ही इससे मृतक के परिजनों को भी अपेक्षाकृत कम असुविधा होगीः

1. मृतक के परिजनों से सम्पर्क कर सुनिश्चित करें कि शव के साथ यात्रा कर रहे व्यक्ति के पास मृतक से सम्बन्धित यह अभिलेख हैंः–

   (अ) पंचनामा आख्या
   (आ) मृत्यु प्रमाण पत्र/शव परीक्षा आख्या
   (इ) पत्र व्यवहार का पता
   (ई) फोटोयुक्त पहचान पत्र

2. शव को विमान से ले जाने के लिये उसका संलेपन (embalming) किया जाना आवश्यक है। यह शव को खराब होने से रोकने के लिये की जाने वाली औषधीय प्रक्रिया है

3. उत्तराखण्ड के 06 चिकित्सालयों में संलेपन प्रक्रिया की जाती है जिसमें (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश (ii) राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून (iii) राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी (iv) वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर (v) स्वामी रामा हिमालयन विश्वविद्यालय, डोईवाला (vi) श्री गुरू राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साईन्सेज, देहरादून व (vii) श्रीदेव सुमन शुभारती मेडिकल कॉलेज, देहरादून।

4. संलेपन सुविधा को प्रदान किये जाने हेतु उपरोक्त चिकित्सालयों के नोडल अधिकारियो ंको नामित किया गया है। नामित नोडल अधिकारियों के विवरण में परिवर्तन की स्थिति में इसकी सूचना महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को दी जानी होगी। नामित नोडल अधिकारियों की सूची निम्नानुसार हैः

1.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश	डा. मुकेश सिंहाला, ऐसोसिएट प्रोफेसर	9837691777 mukeshaiimsrishikesh@gmail.com
		डा. एम. एस. अंसारी, असिसटेन्ट प्रोफेसर	7500277776 msalahuddin.ansari12@gmail.com
2.	राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून	डा. एम. के. पन्त	9897470722 pant.mahendra@gmail.com
3.	राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी	डा. रिचा निरंजन, ऐसोसिएट प्रोफेसर	9758512594 niranjanricha@yahoo.co.in
4.	वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर	डा. अनिल कुमार द्विवेदी, असिसटेन्ट प्रोफेसर	7536873898 Dranildwivedi2009@gmail.com
5.	स्वामी रामा हिमालयन विश्वविद्यालय, डोईवाला	पेशेन्ट केयर एक्जीक्यूटिव	8194009605 0135–2471202

6.	श्री गुरू राम राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड हैल्थ साईन्सेज, देहरादून	डा. सुचित कुमार असिसटेन्ट प्रोफेसर	8791065465 Skumar1422@yahoo.com
7.	श्रीदेव सुमन शुभारती मेडिकल कॉलेज, देहरादून	डा. खुर्शीद रज़ा, असिसटेन्ट प्रोफेसर	9716147173 khursheedraza77@gmail.com

5. सम्बन्धित जिला प्रशासन विमानपत्तन प्राधिकारियों के साथ समन्वयन कर शव को विमान से ले जाने के लिये आवश्यक व्यवस्थाओं के दृष्टिगत ` विमानपत्तन पर क्षेत्राधिकार रखने वाले उपजिलाधिकारी/पुलिस सर्किल ऑफिसर को आधिकारिक रूप से नामित करेंगे।

6. विमानपत्तन अथवा मृतक के नजदीकी रिश्तेदारों पर क्षेत्राधिकार रखने वाले उपजिलाधिकारी/पुलिस सर्किल ऑफिसर संलेपन प्रक्रिया हेतु चिन्हित चिकित्सालय के नोडल अधिकारी से अग्रिम रूप में सम्पर्क किया जाना सुनिश्ति करेंगे।

7. शव को विमान से ले जाने में सहयोग के दृष्टिगत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एयरपोर्ट टर्मिनल मैनेजर नोडल अधिकारी होंगे। टर्मिनल मैनेजर, जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट को 0135–2412052 जबकि पन्टनगर एयरपोर्ट के टर्मिनल मैनेजर को 05944–233685 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

8. संलेपन के उपरान्त सम्बन्धित चिकित्सालय के नोडल अधिकारी द्वारा शव को मृतक के नजदीकी रिश्तेदार अथवा इससे सम्बन्धित अधिकारी/नामित व्यक्ति को सौपा जायेगा

9. संलेपन हेतु सम्बन्धित चिकित्सालय के नोडल अधिकारी द्वारा पुलिस विभाग के नोडल अधिकारी को सूचित करना होगा ताकि संलेपन उपरान्त शव को सौंपने हेतु की जाने आवश्यक आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

10. शव के लिये ले जाने के लिये शव पेटी (coffin) की व्यवस्था कर रहे व्यक्ति को सुनिश्चित करना चाहिये कि वह शव पेटी की पूर्ति करने वाली फर्म से इस आशय का प्रमाण–पत्र अवश्य प्राप्त कर ले कि ताबूत में प्रयुक्त लकड़ी दीमकरोधी है और उससे किसी प्रकार के रिसाव की सम्भावना नहीं होगी।

11. पुलिस विभाग के नामित अधिकारी द्वारा ताबूत की सीलिंग के समय उसका निरीक्षण कर इस आशय का एक घोषणा प्रमाण–पत्र जारी करना चाहिये कि ताबूत में केवल शव रखा गया और इसमें किसी प्रकार की कोई खतरनाक सामग्री नहीं है। साथ ही यह भी उल्लेख किया जाना चाहिये कि शव को विमान से ले जाने में पुलिस को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

12. संलेपन हेतु सम्बन्धित चिकित्सालय के सम्बन्धित नोडल अधिकारी द्वारा सुनिश्ति किया जाना चाहिये कि जिस व्यक्ति को शव सौपा जा रहा है उसके द्वारा शव के साथ अपनी रिश्तेदारी को स्थापित करने के लिये यथोचित रूप से फोटो पहचान सम्बन्धित प्रकिया पूर्ण कर ली गयी है अथवा उसके पास सम्बन्धित जिले अथवा राज्य का प्राधिकार पत्र (Authority letter) है

13. शव और उसे ले जाने वाले व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी।

14. शव को विमान में चढ़ाने से पहले सम्बन्धित व्यक्ति/नजदीकी रिश्तेदार द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि शव से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिलेख पूर्णतः तैयार होः–

(अ) पंचनामा आख्या
(आ) मृत्यु प्रमाण पत्र/शव परीक्षा आख्या
(इ) शव पेटी तैयार करने वाले व्यक्ति से इस आशय का प्रमाण पत्र कि शव पेटी दीमक व रिसाव से मुक्त है
(ई) संलेपन प्रमाण पत्र
(उ) फोटोयुक्त पहचान पत्र

(ऊ) पुलिस का अनापत्ति प्रमाण–पत्र जिसमें शव पेटी में केवल शव होने तथा विस्फोटक/खतरनाक पदार्थ न होने का स्पष्ट उल्लेख हो

15. जौलीग्रान्ट व पन्तनगर एयरपोर्ट में आवश्यक रेफ्रिजीरेटर सुविधा के अभाव में एयरपोर्ट प्राधिकरण द्वारा शव को विमान के प्रस्थान के समय से 02 घण्टे पहले ही स्वीकार किया जाता है

----------**********----------